

अभिलेख वाद सं०- 14012016/7

वाद का प्रकार:— बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

Scanned with CamScanner

उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.2022 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

24.12.2022 अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में श्री राजकुमार शंकर-हिन यश कर्मिनी के

द्वारा दिए जाये पच्चीस सं- 165799 एवं दो जमे

निरीक्षक सं- 2016-17 समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 7.1.2023 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

7.1.23

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा

भीखवादी मौजा सं- 803 खाता सं- 21 प्लॉट सं- 43

रकबा 0.63 किस्म गैरमजूरुआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत/ वंशज के द्वारा दिनांक 01/01/1946 के पूर्व का ठोस राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि उक्त प्लॉट का किस्म गैरमजूरुआ दर्ज है, अतः जमाबंदी को नियमितकरण नहीं किया जा सकती है। उक्त के आलोक में अवैध जमाबंदीदार मौजा

भुजिया पति- महादेव उरांव के नाम से पंजी-11 में कायम

जमाबंदी सं- 341 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं- 341 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

B

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - जिला एवं अंचल

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
श्री 0. शु. गि. या. फरि	2112वही	307	21	43	0.67	जैरमजस्तना	जंगल/झाड़ी
महादेव उरी						माली	

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- जंगल/झाड़ी

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संघारित है? :- पंजी-II में संघारित वर्ष दर्ज नहीं है

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संघारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

पंजी-II में विवरण दर्ज नहीं है

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संघारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(क) अनिवारित, सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष
(वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :- भूदान मंत्रालय के प्रपत्र 5 प्रपत्र सं. 165/99

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/-रुपये से कम या इससे अधिक) :-

अवैध जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वास्तिल रिटर्न से

नहीं

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित संशोधन पंजी से

नहीं

(ग) वास्तिल-एयरिज / भू-उत्सांतरण / नामांतरण पंजी से :-

नहीं

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है :-

नहीं

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :-

नहीं

11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद

तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :-

नहीं

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड - बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध

जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

नहीं

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

प्रतिवेदन भूमि मालिक श्रीवृद्धी है व्यापार 21 लॉट 43 रकबा 0.67 का मांग पंजी II है प्रकृत से 37/8 पर मांग भूमिमां पंजी - महादेव उर्ध्व है नाम रई दर्ज है मांगदाही है भूमि सारखण्ड बुदाव यत्त कमिरी है प्रपत्र 5 है प्रपत्र संख्या 165999 द्वारा ज्ञात है, परंतु जमाबंदी संग्रह प्रदाविहारी LR 90/370 द्वारा सम्पुष्टि नहीं है। भूमि पर मांगदारी का रकबा कब्जा स्पष्ट नहीं है। भूमि रोजमजसूआ मालिक जगत - झाड़ी है। जमाबंदी अवैध प्रतीत होता है। अतः अग्रतर कारवाई हेतु जांच प्रतिवेदन सादर समर्पित।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन का जाँच लिया, यह पाया। अतः उपरोक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा किया जा सकता है।

अग्र

अंचल अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता, उत्तरपुर।

अनुमंडल पदा., उत्तरपुर।

अपर समाहर्ता, पलामू।

उपायुक्त, पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्री. मुनीश / w/o महादेव उराव
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 1 पृष्ठ सं. 37 पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
<u>भीखरी</u>	<u>307</u>	<u>21</u>	<u>43</u>	<u>0.67</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- पंजी-11 में दर्ज नहीं है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- श्री. राजनारायण मालिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- विवरण दर्ज नहीं है।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

- NA -

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :-
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)

पंजी-11 से

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>(1)</u>	<u>059664</u>	<u>-</u>	<u>2016-17</u>

RS

RS

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

बाद अभिलेख सं० 140 / 20 16-17 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना
बनाम श्री सुविद्या
पति-सुबोध कुमार

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा मीरपुरी थाना नं० 307 खाता सं० 21 खेसरा नं० 43 रकबा 67 से संबंधित आपके नाम से ह० नं० IV के पंजी-II भाग I के पृष्ठ 37 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जानें।

रविशंकर



अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।